(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिजली के उत्पादन में कमी

715. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिजली के संचरण और वितरण में हानि

716. **श्री राम जेठमलानी**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बिजली के संचरण और वितरण में होने वाली हानि की मात्रा बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख)

(ख) हमारे देश में पारेषण एवं वितरण हानियां करीब 22% हैं जो कि अपेक्षाकृत अधिक हैं। इन हानियों में कमी लाने के लिए बिजली की यूटिलिटियों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इसमें अन्यों के साथ-साथ अत्यधिक हानियों के लिए जिम्मेदार प्रणाली घटकों का पता लगाने के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षा करना, वोल्टता अनुप्रस्थ में सुधार लाने के लिए कैपेसिटरों की प्रतिष्ठापना करना, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को मजबूत करने एवं उसमें सुधार लाने के लिए प्रणाली सुधार योजनाएं तैयार करना, ऊर्जा चोरी रोकने के लिए "टेम्परप्रूफ" मीटर बक्से की प्रतिष्ठापना करना एवं ऊर्जा चोरी के मामले का पता लगाने हेतु सतर्कता दल की स्थापना करना शामिल है। ऊर्जा चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के तहत एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। यह योजना 1987 से प्रभावी है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बिजली की यूटिलिटियों ने सतर्कता दलों का गठन किया है तथा अपने पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को मजबूत बनाने तथा सुधार लाने के लिए प्रणाली सुधार योजनाएं बना रही हैं। वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान ऊर्जा की चोरी के आरोप में 19898 व्यक्तियों को अभियोजित एवं जुर्माने तथा कैद अथवा दोनों के रूप में दण्डित